



R-05

64

आदेश द्वारा श्री रामप्रकाश (भा.व.से.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़, रायपुर

//आदेश//

आदेश क्रमांक/अनु. एवं वि./०७

रायपुर, दिनांक 11 - 09.2014

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित बीजोद्यान क्षेत्रों (CSO,SSO,SPA एवं अन्य धनवृक्षों) से विभिन्न प्रजातियों के बीज संग्रहण करने के लिए आगामी आदेश तक निम्नानुसार संग्रहण दरें अनुमोदित की जाती है :-

अ.क्र.	प्रजाति का नाम	संग्रहण दर प्रति कि.ग्रा. (मा.दि.में)
1	2	3
1	सागौन	0.18 मा.दि.
2	खम्हार	0.24 मा.दि.
3	साजा	0.11 मा.दि.
4	काला सीरस	0.50 मा.दि.
5	सफेद सीरस	0.50 मा.दि.
6	बीजा	1.00 मा.दि.
7	शिपू	0.30 मा.दि.
8	अर्जुन	0.20 मा.दि.
9	नीम (गुदा सहित)	0.15 मा.दि.
10	बेल	0.40 मा.दि.

शेष प्रजातियों के बीज की उपलब्धता अनुसार एवं बीज की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अपने वृत्त के लिये संग्रहण दर निर्धारित करते हुये संग्रहण कार्य करावेंगे। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा शेष प्रजातियों के लिये निर्धारित संग्रहण दर की एक प्रति अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

Ramprakash
(रामप्रकाश) 11/9/14

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11/09.2014

पृ. आदेश क्रमांक/अनु. एवं वि./६४५

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वनमंडलाधिकारियों (अनुसंधान एवं विस्तार) वनमंडल/ वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल को आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

Ramprakash
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर 11/9/14